| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | नरेश तंवर बनाम लो.सू.अ. ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 209 / 2020 | |
| 23.11.20 | अपीलार्थी नरेश तंवर पुत्र गजराजसिंह, पता प्लॉट नं.–1, न्यू डिफेन्स कॉलानी, गोनेर रोड़, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.07.2020 में उसके द्वारा (1) टीजीटी 2013, लेवल–2 गणित विज्ञान की फाईनल कटऑफ मार्क्स प्रत्येक श्रेणीवार कितनी रही व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को पेश हुई तथा जिला परिषद जोधपुर के पत्रांक / जिपजो / आरटीआई / 20–21 / 5733 दिनांक 26.10.20 के जरिये इस कार्यालय को प्रेषित की।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त [illegible] है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ) को निर्देशित [illegible] जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध कराये अथवा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश [illegible] प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.12.16 15:45:15 IST
Reason: SelfAttested